

2023/605

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 कैम्प)

प्रकरण संख्या 552/23

दिनांक 01/06/2023

उनवान

श्री शान्ता देवी पत्नी वृद्धि चन्द सनादय

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

—: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रोपां गाँव भू.अ.नि. रोपां एवं तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट / अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम रोपां गाँव प. ह. की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 778 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार / पिता का नाम / पति का नाम / अन्य आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है।
1	प्रार्थी एवं प्रार्थी के पति का नाम	शान्ति देवी पत्नी वरदी चन्द सनादय	शान्ता देवी पत्नी वृद्धि चन्द सनादय

h
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

- तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
- प्रार्थी शान्ता देवी पत्नी वृद्धि चन्द सनादय
- रक्षित प्रतिलिपि।

h
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा